हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 1988-89

NIEPA DC
D08551

वार्षिक प्रशासानक रिपोर्ट

प्रकाशक :
निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-8551
Date 05-05-95

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1988-89 OF SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

For running the work relating to School Education there is an office of the Director of School Education in addition to Administrative Department, which keeps Co-ordination between Government and District Offices, implements education policies and inspects the education work. There are offices of the District Education Officers for running the Educational Administration and Inspection of each District. For Educational Administration and Inspection work of Primary Education there are Offices of Block Education Officers.

For the educational and administrative work of adult education and non-formal education there are offices of Adult Education officers also at district level.

During the year 1988-89 the main eudcation work/policies of the State are as under :—

Primary Education

Education for the Children of 6-11 age is available at Walkable distance in the State. Free education is provided to the children of 6-11 age in Government Primary School. Free stationary was provided to the children of Scheduled Castes and Weaker sections of society. Free uniforms were provided to girl students of Scheduled caste for their encouragement. Attendance prizes of Rs. 161.95 lakhs were given to scheduled caste girls at the rate of Rs. 10/- per girls per month.

There is no detention of students in first and second classes in the State. The primary School teachers organise monthly meetings in established school complex centres to discuss their teaching problems with one another. 94.17% boys and 72.10% girls of all categories and 107.55% boys and 85.19% girls belonging to scheduled castes in the age group 6—11 are studying in Primary Classes in the State.

Secondary Education

Free Education is provided from 6th to 8th classes to all students. Girls of 9th to 12th classes in Government Schools of the State are also given free education. Special coaching is given to the Scheduled Castes students of 9th to 11th classes in subjects of Mathematics, English and Science for three months every year so that such weak students can compete with other stndents.

1232 Middle Schools, 1917 High Schools and 201 Secondary schools are running in the state in year 1988-89.

The percentage of School going children in the age group of 11—14 is 80.20% boys and 41.12% girls and [redacted], 61.36% boys and 29.64% girls in the age group 14-16. The percentage of School going students belonging to Scheduled castes is 68.00% boys and 31.34% girls in the age group 11—14 and 45.59% boys and 11.65% grils in the age group 14—16.

Adult Edncation

Adult Education Programme was started at large scale on October, 2,1978. Earlier 998 Centers of Adult Education were runniug in some Distt. of the State. 5486 Ault Education Centres were functioning in 1988-89 in which 39822 men and 120507 Women got literacy,

There is a Sharmik Vidya Peeth in Faridabad for providing education to labourers.

The expenditure on Adult Education in the year 1988-89 was Rs. 223.08 lakhs (Provisional)

Non-Formal Education

There was an arrangement of Non-Formal Education in the State for the children of 6—14 age group who could not get school education due to family, economic, social or any other reasons. 5219 centres of Non—Formal Education were functioning in the year 1988-89 in which 57182 boys and 92652 girls received education. Free stationery and text books were provided to student for encouragement. During the year 1988-89 Rs. 69.66 lakhs were spent on Non-Formal Education.

Other Programmes

1. A State Council of Educational Research and Training has been set up for guidance of educational institution, administrators connected with education and teachers through the activities of standardization of education, research, innovation, study and training.

2. Socially useful productive work is compulsory subject for Secondary Classes. Rs. 11·20 lakhs were spent on work experience in 1988-89.

3. Rs. 249.50 lakhs were spent by public Works Department on construction of school building class rooms of Govt. Pry./Middle/High/Higher Secondary Schools.

4. The language of Haryana State is Hindi. English is taught as second language from 6th class and in addition to Punjabi, Sanskrit and Urdu as Third language. The facility of teaching of Telgu is also available in 35 Schools.

5. An amount of Rs. 37.50 lakhs was sanctioned for strengthening the Book Bank. Paper at cheap rate was given to approved small industrial Units for supplying cheap Note-Book.

6. Selected teams from school of State got 132 Medals in School Sports Competitions. Sports material of Rs. 15 lakhs was bought for distributing among primary schools.

7. Aid of Rs. 925103 was given from National Teachers Welfare Fund to teachers and their dependents in unconginial circumstances.

विद्यालय शिक्षा विभाग की वर्ष 1988-89 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

विद्यालय शिक्षा के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रशासकीय विभाग के अतिरिक्त निदेशक, विद्यालय शिक्षा का कार्यालय है, जो शिक्षा नीतियों को कार्यान्वित करने और शिक्षा कार्य का निरीक्षण करने के लिए सरकार और जिला कार्यालयों के बीच तालमेल बनाये रखता है। शिक्षा प्रशासन को चलाने और जिला शिक्षा प्रशासन के लिए प्रत्येक जिले का निरीक्षण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय हैं और प्राथमिक शिक्षा का निरीक्षण कार्य करने के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय है।

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के शैक्षिक और प्रशासनिक कार्य के लिए जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के भी कार्यालय हैं।

वर्ष 1988-89 के दौरान मुख्य शिक्षा कार्य/नीतियां निम्नानुसार है :-

प्राथमिक शिक्षा

राज्य में 6-11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा पैदल पहुंचने योग्य दूरी पर उपलब्ध हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 6-11 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को मुफ्त लेखन सामग्री दी गई। अनुसूचित जातियों की छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए मुफ्त वर्दी दी गई। अनुसूचित जातियों की छात्राओं को 10 रु० मासिक प्रति छात्रा के हिसाब से 161.95 लाख रु० के उपस्थिति पुरस्कार दिये गये।

राज्य में पहली तथा दूसरी श्रेणी में किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार-विमर्श करने के लिए विद्यालय केन्द्रों में मासिक बैठकें करते हैं।

राज्य में 6–11 आयु वर्ग के कुल 94.17 प्रतिशत लड़के तथा 72.10 प्रतिशत लड़कियां प्राथमिक श्रेणियों में पढ़ रहे है जिसमें से 107.56 प्रतिशत लड़के तथा 85.19 प्रतिशत लड़कियां अनुसूचित जातियों से हैं।

माध्यमिक शिक्षा

राज्य में छटी से आठवीं तक के सभी छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। राजकीय विद्यालयों में 9वीं से 12वी कक्षाओं की छात्राओं को भी निशुल्क शिक्षा दी जाती है। नौवीं से ग्याहरवीं कक्षाओं के अनुसूचित जातियों के छात्रों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान के विषयों में वर्ष में तीन मास की विशेष कोचिंग दी जाती है, ताकि अनुसूचित जातियों के कमजोर छात्र अन्य छात्रों की समानता में आ जाये। वर्ष 1988–89 में राज्य में 1232 मिडल विद्यालय, 1917 उच्च विद्यालय तथा 201 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालत चल रहे हैं।

11–14 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता 80.20 लड़के और 41.12 लड़कियां है और 14–16 आयु वर्ग के बच्चों की प्रतिशतता 61.36 लड़के तथा 29.64 लड़कियां है। अनुसूचित जातियों के 11–14 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता 68.00 लड़के तथा 31.34 लड़कियां है और 14–16 आयु वर्ग में उनकी प्रतिशतता 46.59 लड़के और 11.65 लड़कियां है।

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्तुबर 1978 से बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया था। इससे पहले प्रौढ़ शिक्षा के 998 केन्द्र राज्य के कुछ जिलों में चल रहे थें। वर्ष 1988–89 में 5486 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत मे जिनमें 39822 पुरुषों और 120507 महिलाओं ने साक्षरता प्राप्त की।

फरीदाबाद में श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए श्रमिक विद्यापीठ है। वर्ष 1988–89 में प्रौढ़ शिक्षा पर 223.08 लाख रु0 (अस्थाई) खर्च किए गए।

अनौपचारिक शिक्षा

राज्य में 6–14 आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए जो पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और किसी अन्य कारणों से विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर

सकते, अनौपचारिक शिक्षा देने की व्यवस्था थी । वर्ष 1988–89 में अनौपचारिक शिक्षा के 5219 केन्द्र कार्यरत थे, जिनमें 67182 लड़के तथा 92652 लड़कियों ने शिक्षा प्राप्त की। प्रोत्साहन के लिए छात्रों को मुफ्त लेखन सामग्री और पाठ्य पुस्तकें दी गई।

वर्ष 1988–89 के दौरान 69.66 लाख रु0 अनौपचारिक शिक्षा पर खर्च किये गए थे।

अन्य कार्यक्रम

शिक्षा स्तर को सम्मुन्नत करने सम्बन्धी क्रियाकलापों, नई पद्धति, अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं के प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्ग दर्शन हेतु राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई ।

2. माध्यमिक कक्षाओं के लिए सामाजिक उपयोगात्मक उत्पादन कार्य की अनिवार्य विषय बना दिया गया। वर्ष 1987–88 में कार्य अनुभव के लिए 11.20 लाख रु0 खर्च किये गये।

3. राजकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों/कक्षों के निर्माण पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 249.50 लाख रु0 खर्च किये गये ।

4. हरियाणा राज्य की भाषा हिन्दी है, अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में छटी कक्षा से पढ़ाई जाती है तथा पंजाबी, संस्कृत, उर्दू के अतिरिक्त तृतीय भाषा के रूप में 35 विद्यालयों में तेलगू पढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध है ।

5. बुक बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए 37.50 लाख रु0 की राशि स्वीकृत की गई थी। सस्ती कापियां सप्लाई करने के लिए अनुमोदित लघु औद्योगिक युनिटों को सस्ती दर पर कागज दिया गया था।

6. राज्य के विद्यालयों की चुनिन्दा टीमों ने विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में 132 मैडल प्राप्त किये । प्राथमिक विद्यालयों में खेल का सामान देने के लिए 15 लाख रु0 की राशि का सामान खरीदा गया।

7. विपदाग्रस्त परिस्थितियों में अध्यापकों तथा उन पर आश्रितों को राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण निधि से 925103 रु0 की सहायता दी गई।

अध्याय पहला

शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

रिपोर्टाधीन अवधि में श्री खुर्शीद अहमद ने शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित किया । शिक्षाआयुक्त एवं सचिव के पद पर श्रीमती किरण अग्रवाल आई ए. एस. रही तथा संयुक्त सचिव के पद पर श्रीमती कमला चौधरी आई. ए. एस. ने कार्य किया ।

निदेशालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन अवधि में निदेशक विद्यालय शिक्षा के पद पर श्री सज्जन सिंह आई. ए. एस. ने कार्य किया । निदेशालय स्तर पर निम्न पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने में निदेशक महोदय को सहयोग दिया ।

	पदों का नाम	अधिकारियों की संख्या
1.	अतिरिक्त निदेशक	1
2.	निदेशक, एस. आर. सी.	1
3.	संयुक्त निदेशक	2
4.	उप निदेशक	5
5.	अध्यक्ष अनोपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा	1
6.	प्रशासन अधिकारी (विद्यालय)	1
7.	सहायक निदेशक	8
8.	खेल अधिकारी	1
9.	लेखा अधिकारी	1
10.	बजट अधिकारी	1

जिला स्तर पर

राज्य के प्रत्येक जिले में विद्यालय शिक्षा का विकास, प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व जिला शिखा अधिकारियों पर हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा का विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्यरुप देते है। जिलों में शिक्षा विकास कार्य को भली भांति चलाने के लिए सभी उप मण्डलों में उप मण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उप मण्डल में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक-एक उप जिला शिक्षा अधिकारी, एक-एक विज्ञान परामर्शदाता तथा एक-एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल-कूद) भी नियुक्त है।

इसी प्रकार राज्य के प्रत्येक जिले में प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के विकास, प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों पर है।

खण्ड स्तर पर

राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए 118 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने अपने खण्ड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।

विद्यालय स्तर पर

सभी राजकीय उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी/विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

अराजकीय विद्यालय स्तर पर

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी अपनी प्रबन्धक समितियों

द्वारा चलाया जाता है । शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है । ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं । शिक्षा विभाग उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं ।

शिक्षा पर व्यय

विद्यालय शिक्षा का वर्ष 1988-89 का बजट (संशोधित अनुमान अनुसार) इस प्रकार था :—

(क) प्रत्यक्ष व्यय (राशि लाख रुपयों में)

मद	योजनोत्तर	योजना	कुल
1	2	3	4
माध्यमिक शिक्षा	8758.93	68.04	8826.97
प्राथमिक शिक्षा	7710.08	32.25	7742 33
विशेष शिक्षा	87.57	151.74	239.31
विविध	30.88	—	30.88
एन. सी. सी.	9.23	302.28	311.51
जोड़	16596.69	654.31	17151.00

(ख) परोक्ष व्यय

इन्सपैक्शन	405.94	—	405.94
जोड़	405.94	—	405.94
कुल जोड़	17002.63	554.31	17556.94

वर्ष 1988-89 में अराजकीय विद्यालयों को निम्न अनुदान दिये गये-

(क) अनुरक्षण अनुदान

राज्य में अराजकीय विद्यालयों को उनके घाटे की 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। वर्ष 1988-89 में अराजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 112.35 लाख रुपये की राशि वितरित की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

क्र. सं0	संस्था का नाम	राशि (लाख रुपयों में)
1.	राज्य के मान्यता प्राप्त अराजकीय विद्यालय	101.10
2.	कैंट बोर्ड के प्राथमिक विद्यालय	0.20
3.	साकेत मिडल विद्यालय चण्डीमन्दिर	1.47
4.	संस्कृत महाविद्यालय/गुरुकुल	4.57
5.	हरियाणा वैलफेयर सोसायटी फार हियरिंग एण्ड सपीच हैण्डीकैप्ट	4.11
6.	हरियाणा चाईल्ड वैलफेयर कौंसिल चण्डीगढ़	0.90

(ख) कोठारी अनुदान

वर्ष 1988-89 में राज्य के अराजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 221.23 लाख रुपये का कोठारी अनुदान स्वीकृत किया गया।

ORGANIZATIONAL SET-UP AT THE DIRECTORATE

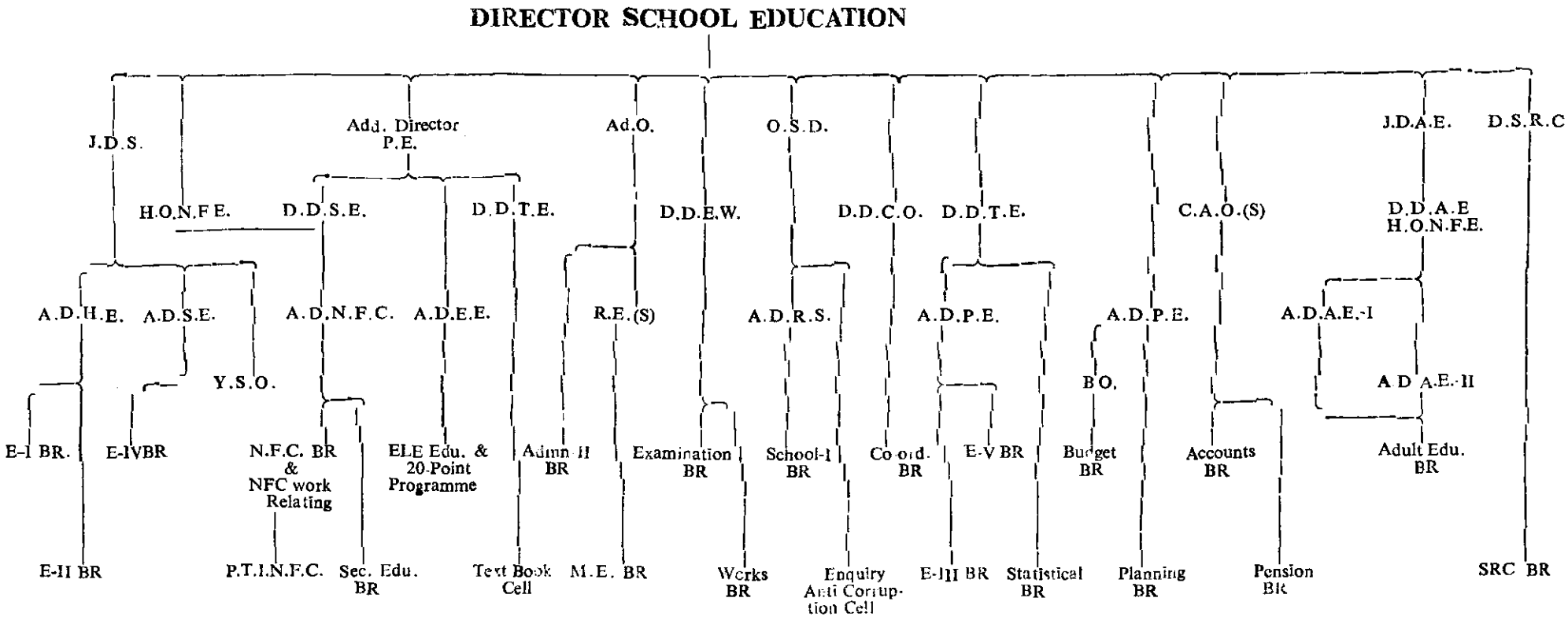

ABBREVIATION

J.D.S. Joint Director School

Add. Director P.E. (Primary Education)

Ad.O. Administrative Officer

O.S.D. Officer on Special Duty

J.D.A.E. Joint Director Adult Education

D.S.R.C. Director State Resource Centre

H.O.N.F.E. Head of Non Formal Education

D.D.S.E. Deputy Director Secondary Education

D.D.T.E. Deputy Director Teachers Education

D.D.E.W. Deputy Director Exam & Works

D.D.Co. Deputy Director Co-ordination

C.A.O. (S) Chief Accounts Officer (Schools)

D.D.A.E. Deputy Director Adult Education

A.D.H.E. Assistant Director Heads Establishment

A.D.S.E. Assistant Director School Establishment

A.D.N.F.C. Assistant Director National Fitness Corps

A.D.E.E. Assistant Director Elementary Education

R.E. (S) Registrar Education (Schools)

A.D.R.S. Assistant Director Recognised Schools

A.D.P.E. Assistant Director Primary Education

A.D.P.B. Assistant Director Budget & Planning

A.D.A.E. Assistant Director Adult Education

Y.S.O. Youth & Sports Officer

B.O. Budget Officer

अध्याय दूसरा

"माध्यमिक शिक्षा"

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3–6 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों को दी जाती है। राज्य में इस समय शिशु शिक्षा के लिए 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय सरकारी क्षेत्र में संचालित है। इसके अतिरिक्त राज्य में समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के शिशुओं की देख-रेख एवं शिक्षा सुविधा के लिए 20 राजकीय बालवाड़ियां कार्यरत हैं। रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ीयों में छात्र संख्या निम्न प्रकार है :—

(क) कुल छात्र संख्या

	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	782	598	1380
स्तर अनुसार	4118	3108	7226
(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या			
विद्यालय अनुसार	217	158	375
स्तर अनुसार	243	178	421

रिपोर्टाधीन अवधि में अध्यापकों की संख्या

रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों में अध्यापकों की संख्या :—

(क) कुल अध्यापक

	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	6	51	57
स्तर अनुसार	9	166	175

(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापक

विद्यालय अनुसार	1	—	1
स्तर अनुसार	—	—	—

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है। अतः इसे देश के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराने के लिये इसका विस्तार तथा विकास अत्यावश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये राज्य में इसके विस्तार एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस समय राज्य में प्राथमिक शिक्षा की सुविधायें 99 प्रतिशत ग्रामीण जनता को एक किलोमीटर की परिधि के अन्दर-2 उपलब्ध है। रिपोर्टाधीन अवधि में प्राथमिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निम्न प्रकार हैं :--

1. विद्यालयों की संख्या

	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	4414	537	4951
गैर सरकारी	66	15	81

रिपोर्टाधीन अवधि में 200 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय लड़कियों के लिए खोले गये जिसके लिए 27.54 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त 1820 अध्यापकों के पद वर्ष 1988-89 में जारी रखने हेतु 307.53 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

2. कुल छात्र संख्या

	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	362671	321519	684190
स्तर अनुसार (1–5)	926475	702241	1628716

(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या

विद्यालय अनुसार	86571	83077	169648
स्तर अनुसार (1–5)	201035	157646	358681

(ग) 6–10 आयु वर्ग के विद्यालयों में जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता अर्थात प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की 6–10 आयु वर्ग की जनसंख्या के साथ प्रतिशतता :—

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्र संख्या की प्रतिशतता	94.17	72.10	83.19
अनुसूचित जातियों की छात्रसंख्या की प्रतिशतता	107.55	85.19	96.42

(क) कुल अध्यापकों की संख्या

	पुरुष	महिला	जोड़
संस्था अनुसार	9021	6725	15746
स्तर अनुसार (1–5)	18631	15577	34208

(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या

संस्था अनुसार	783	117	900
स्तर अनुसार	1569	244	1813

छात्रवृत्ति अभियान

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से पांचवी कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/पिछडी जाति के छात्र/छात्राओं को 10/- रुपये प्रति छात्र लेखन सामग्री के क्रय हेतु वर्ष में एक बार दिये जाते हैं। वर्ष 1988--89 में 4 लाख छात्र/छात्राओं को मुफ्त लेखन सामग्री प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा 40.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 134958 हरिजन छात्राओं को 16.95 लाख रुपये की राशि, 10 रुपये प्रति छात्रा प्रति मास की दर से उपस्थिति पुरस्कार के रुप में दी गई। 6--11 वर्ष तक की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों में लाने के लिए प्रति वर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अभियान चलाया जाता है। वर्ष 1988--89 में इस अभियान पर 5.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इसमें से 2.50 लाख रुपये आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार/प्रसारण कराने के लिए खर्च किये गये तथा शेष 2.50 लाख रुपये की राशि उन राजकीय विद्यालयों को भौतिक सुविधाओं में सुधार के लिए प्रोत्साहन के रुप में बांटी गई जिन्होंने अधिक से अधिक छात्र दाखिल किये थे।

पहली कक्षा में पढ़ने वाले घुमन्तु जाति के 266 बच्चों को 22580/- रुपये उपस्थिति पुरस्कार के रुप में वितरित किये गये।

2.4 शाला संगम केन्द्र

प्राथमिक स्तर पर कार्य कर रहे अध्यापकों की व्यवसयिक दक्षता बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा के स्तर को सम्नत करने के उद्देश्य से शालासंगम योजना चालू की गई थी। इन शाला संगम केन्द्रों में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक प्रति मास एक दिन एकत्रित होते हैं तथा इस मासिक बैठक में अध्यापक कक्षा सम्बन्धी अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी समय--2 पर भाग लेते हैं। इसके लिए वर्ष 1988--89 के बजट में 3.07 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 के प्रकाशन विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका में प्राथमिक अध्यापकों के

लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिए व्यापक रूप से साहित्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पत्रिका राज्य के प्राथमिक अध्यापको को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रतिमास संगम बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विमर्श करते हैं, जिसमें बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है।

नई शिक्षा नीति में भी शाला संगम केन्द्रों के कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावकारी बनाने की बात की गई है। इसलिए जिला मुख्यालयों पर शाला संगम केन्द्र मुखियों तथा जिला के सभी शिक्षा अधिकारियों की एक-एक दिन की बैठक बुलाई गई ताकि इस बैठक में इस कार्यक्रम की समीक्षा हो सके और इसे नई दिशा देने के सुझाव भी दिए जा सकें।

2.5 आपरेशन ब्लैक बोर्ड

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987-88 में लागू की गई थी। इसके अनुसार राज्य के सभी जिलों के 20 प्रतिशत सी डी ब्लाक्स/शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों का सर्वेक्षण करवाया गया। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में 20 सी डी ब्लाक्स तथा 16 शहरी क्षेत्रों के 959 प्राथमिक विद्यालयो में आवश्यक शिक्षण एवं अध्ययन सामग्री, ब्लैक बोर्ड, चाक, नक्शे, लघु पुस्तकालय, चार्ट, खिलौना तथा कार्य अनुभव के लिए सामग्री उपलब्ध करवाने तथा एक अध्यापक वाले 66 प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक अतिरिक्त अध्यापक का पद देने हेतु भारत सरकार द्वारा 70.12 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की गई। इस योजना के अन्तर्गत दिए गए सामान के रख रखाव के लिए 500 रुपए प्रति विद्यालय के हिसाब से 959 विद्यालयों को 4.80 लाख रुपये कैंटीजेंसी के रूप में दिए गए।

2.6 कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार :

सामान्यतः ऐसा होता है कि एक ही कक्षा के कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं। अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षाओं में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा के अलग-अलग सैक्शन

बना दिए जाएं तथा इन सैक्शनों को इस तरह बनाया जाए कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्शन में तथा मन्द बुद्धि वाले बच्चे दूसरे में आ जाएं और जिस शिक्षक के पास मन्द बुद्धि वाले बच्चे हों उसके परिणाम को देखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह कमजोर सैक्शन पढ़ा रहा था।

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई गई है कि पहली और दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल नहीं किया जाए और तीसरी तथा चौथी की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाए।

अन्य कार्यक्रम

प्राथमिक कक्षाओं के लिए खेल का सामान उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने वर्ष 1988-89 में 15.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की।

900 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को 900/- रुपए प्रति विद्यालय की दर से बाल साहित्य सम्बन्धी पुस्तकें तथा ट्रंक उपलब्ध करने हेतु सरकार द्वारा 8.10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

अध्याय तीसरा

माध्यमिक शिक्षा

राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विकास की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इस समय राज्य में माध्यमिक शिक्षा सुविधा 2.06 किलोमीटर की परिधि में तथा उच्च शिक्षा सुविधा 2.59 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध है । वर्ष 1988-89 में माध्यमिक/उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	सरकारी		गैर सरकारी	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
माध्यमिक विद्यालय	1021	140	65	6
उच्च विद्यालय	1400	219	209	89
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	133	20	43	5

रिपोर्टाधीन अवधि में 50 राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर मिडल किया गया तथा 26 मिडल विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उच्च किया गया, जिनमें से 25 विद्यालय लड़कियों के हैं । इस अवधि में 11 अराजकीय उच्च विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई तथा एक अराजकीय उच्च विद्यालय को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई ।

रिपोर्टाधीन अवधि में विभिन्न विद्यालयों तथा विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

कुल छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
(क) 1. विद्यालय अनुसार			
माध्यमिक विद्यालय	254290	187008	441298
उच्च विद्यालय	872857	487996	1360853
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	145992	55996	201988
2. स्तर अनुसार			
माध्यमिक स्तर (कक्षा 6–8)	448515	238203	686718
उच्च स्तर (कक्षा 9–10)	227694	97482	325176
वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा 11–12)	29572	11993	41565

(ख) अनुसूचित जाति की छात्र संख्या

	लड़के	लड़कियां	जोड़
1. विद्यालय अनुसार			
माध्यमिक विद्यालय	53681	38300	91981
उच्च विद्यालय	150989	70024	221013
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	16795	4002	20797
2. स्तर अनुसार			
माध्यमिक स्तर (कक्षा 6–8)	72246	30104	102350
उच्च स्तर (कक्षा 9–10)	32146	7283	39429
वरिष्ट माध्यमिक स्तर (कक्षा 11–12)	2551	345	2896

(ग) 11–13 तथा 14–15 आयु वर्ग के छात्रों की प्रतिशतता :

	लड़के	लड़कियां	जोड़
1. कुल छात्र संख्या की प्रतिशतता			
11–13 आयु वर्ग के छात्रों की प्रतिशतता (कक्षा 6–8)	80.20	47.12	64.50
14–15 आयु वर्ग के छात्रों की प्रतिशतता (कक्षा 9–10)	61.36	29.64	46.45
2. अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रतिशतता			
11–13 आयु वर्ग के छात्रों की प्रतिशतता (कक्षा 6–8)	68.00	31.34	50.59
14–15 आयु वर्ग के छात्रों की प्रतिशतता (कक्षा 9–10)	45.59	11.65	29.65

रिपोर्टाधीन अवधि में माध्यमिक, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या ।

	पुरुष	महिला	जोड़
(क) विद्यालय अनुसार			
माध्यमिक विद्यालय	7336	4677	12013
उच्च विद्यालय	24152	15339	39491
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	3862	2939	6801
(ख) स्तर अनुसार			
कक्षा 6–8	13620	8184	21804
कक्षा 9–10	9736	4699	14435
कक्षा 11–12	2369	1096	3465

(2) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या

(क)	विद्यालय अनुसार	पुरुष	महिला	जोड़
	माध्यमिक विद्यालय	475	114	589
	उच्च विद्यालय	861	167	1028
	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	64	11	75
(ख)	स्तर अनुसार			
	कक्षा 6–8	377	109	486
	कक्षा 9–10	210	54	264
	कक्षा 11–12	28	2	30

3.2 छात्रों को प्रोत्साहन

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नौवी से बारहवीं कक्षा तक लड़कियों की फीस की दर लड़कों की अपेक्षा कम रखी गई है। छठी से 11वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/कमजोर वर्ग के छात्रों/छात्राओं को 20 रुपये प्रति छात्र/छात्रा को लेखन सामग्री क्रय हेतु वर्ष में एक बार दिये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत कमजोर वर्ग की छात्राओं को भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाती की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 50/–रु0 प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दी उपलब्ध कराई जाती है। छठी से आठवी कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों/छात्राओं को 15/–रु0 प्रति मास की दर से वजीफा हेतु 138 लाख रुपये की व्यवस्था कराई गई।

3.3 दोहरी पारी प्रणाली

राज्य के कुछ विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली भी चलती है। क्योंकि कई विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक हो जाती है। अतः उन विद्यालयों

में एक पारी दोपहर के पहले पढ़ती है तथा दूसरी पारी दोपहर के बाद पढ़ती है ।

3.4 सहशिक्षा की नीति

ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

3.5 तेलगू भाषा की शिक्षा

राज्य में तेलगू भाषा सातवीं और आठवीं कक्षाओं में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है । वर्ष 1988-89 में तेलगू भाषा 34 विद्यालयों में पढ़ाई गई। तेलगू भाषा पढ़ने वाले छात्रों को 10/-रु० प्रति मास की दर से छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1988-89 में 204 छात्रवृतियां दी गई तथा इन पर 18.5 हजार रुपये व्यय किये गये। इसभाषा को पढ़ाने वाले अध्यापकों को दो विशेष वेतन वृद्धियों के बराबर राशि भत्ते के रूप में दी जाती हैं ।

3.6 विशेष कोचिंग कक्षायें

नौवी, दसवीं तथा 11वीं कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष तीन मास के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों के बराबर आ सकें । ये कक्षायें आरम्भ करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 10 या इससे अधिक छात्र संख्या होनी चाहिये ।

3.7 जवाहर नवोदय विद्यालय

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत राज्य में वर्ष 1988-89 में तीन नवोदय विद्यालय खोले गये । ये विद्यालय करीरा (नारनौल) देवराला (भिवानी) तितरम (कुरुक्षेत्र) में खोले गये । इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य में नवोदय विद्यालयों की संख्या 9 हो गई है । नडियाली (अम्बाला), सिवाह (करनाल) और पिनगंवा (गुड़गांवा) में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया ।

परीक्षा परिणाम

रिपोर्टाधीन अवधि में मिडल, उच्च तथा 10+2 कक्षा की परीक्षाओं के परिणाम निम्न अनुसार रहे

	(नियमित) परीक्षा में बैठे		परीक्षा में उत्तीर्ण हुये	
कक्षा	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
मिडल	124136	63551	44002	22858
उच्च	99373	39065	44141	18981
10+2	36047	14020	8940	6432
(निजी)				
मिडल	10939	5379	2810	1703
उच्च	20085	7868	5355	2514
10+2	8293	2847	2090	865

अध्याय चौथा

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

4.1 लोकतांत्रिक पद्धति में निरक्षरता एक अभिशाप है । किसी भी स्वतन्त्र देशों में कुछ व्यक्ति शिक्षा की सामान्य सुविधा से वंचित रहे यह नागरिकों के लिए बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण बात हैं । अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया जा चुका हैं कि निरक्षरता जैसी महामारी को अविलम्ब दूर किया जाना चाहिए ।

आजकल प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मात्र साक्षरता नहीं रहा है, बल्कि जन साधारण अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाये, वे जो धंधा करते हैं उसे निपुणता से करे, उनमें सामाजिक जागरूकता पैदा हो, सामान्य नागरिकता की वे जानकारी प्राप्त करें तथा राष्ट्र की प्रगति में सामान्य रूप से भागीदार बन सके । प्रौढ़ शिक्षा के लिए 15-35 वर्ष आयु वर्ग का चयन किया गया हैं । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाए, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । इसलिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पिछड़े क्षेत्रों में और पिछड़े वर्ग के लिए खोलने पर जोर दिया जाता है ।

हरियाणा राज्य की स्थापना के समय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सीमित रूप में चालू था । 1-11-66 को हरियाणा राज्य में चलते-फिलते सामाजिक शिक्षा दस्ते थे, जिसके अन्तर्गत 58 सामाजिक शिक्षा केन्द्र जिला जीन्द और महेन्द्रगढ़ में कार्य कर रहे थे । वर्ष 1968-69 में भारत सरकार की ओर से किसान साक्षरता योजना चलाई गई, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के अंत में कुल केन्द्रों की संख्या 998 हो गई । इसके पश्चात इस कार्यक्रम का और विस्तार हुआ ।

वर्ष 1988-89 में 5486 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत थे जिनमें 1386 पुरुषों के लिए तथा 4100 महिलाओं के लिए थे ।

4.2 रिपोर्टाधीन अवधि में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या निम्न प्रकार रही :–

	पुरुष	महिला	जोड़
कुल संख्या	39822	120507	160329
अनुसूचित जातियों की संख्या	9895	28111	38006
ग्रामीण क्षेत्रों के प्रौढ़ों की संख्या	39357	109797	149154

3. वित्तीय व्यवस्था

वर्ष 1988–89 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर व्यय (प्रोविजनल) निम्न प्रकार था :–

	लाख रुपये में
1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	146.54
2. राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	76.54
कुल	223.08

4.4 लाभार्थियों का मूल्यांकन

वर्ष 1988–89 में 134830 प्रौढ़ शिक्षार्थियों को पढ़ने-लिखने, संख्यात्मक तथा कार्यात्मक में साधारण परीक्षा ली गई, जिसमें 79185 शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए जिनमें 59984 महिलायें थी ।

4.5 स्वैच्छिक संस्थाएं

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थायें भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार अनुदान देती है । वर्ष 1988–89

के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कार्यरत जिन स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया गया, वे संस्थायें तथा उन द्वारा चलाये गये केन्द्रों की संख्या निम्न है :-

स्वैच्छिक संस्थायें	चालू केन्द्रों की संख्या
1. जनता कल्याण समिति, रिवाड़ी	300
2. सैटपाल समिति एवं शिक्षा न्यास अम्बाला शहर	100
3. शिक्षा शैक्षणिक संस्थान, हरियाणा शहजादपुर अम्बाला	60
4. पी०एच०डी० ग्रामीण विकास संस्थान लि० दिल्ली	30
5. हरियाणा राजकीय अध्यापक भवन न्यास नीलोखेड़ी	100
6. विद्या महासभा कन्या गुरुकुल म०वि० खरखौदा सोनीपत	160

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। वर्ष 1988-89 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा महर्षि दयानन्द वि०वि० रोहतक को 1166 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय कुरुक्षेत्र को 90 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए अनुदान दिया गया।

4.6 राज्य संसाधन केन्द्र

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित साहित्यिक सामग्री तैयार करने तथा उपलब्ध करने के लिए निदेशालय स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र कार्यरत हैं। उसका सारा खर्चा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

4.7 श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद

वर्ष 1981-82 में हरियाणा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक कुशल/

अर्धकुशल श्रमिकों को शिक्षा देना, रहन-सहन का ज्ञान देना, कोई घरेलू धंधा सीखने तथा उद्योगों के प्रबन्धक में भागीदार होने का ज्ञान देना है।

4.8 अनौपचारिक शिक्षा

ऐसे बच्चों के लिए जो आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, अंशकालिक शिक्षा देने के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। हरियाणा राज्य में अनौपचारिक शिक्षा की वर्तमान रूपरेखा 2 अक्तूबर 1978 को अपनाई गई, जब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का आरम्भ हुआ। वर्ष 1979-80 में 9500 प्राथमिक स्तर के तथा 120 माध्यमिक स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्वीकृत थे। कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय यह पाया गया कि माध्यमिक स्तर के केन्द्र कई कारणों, जैसे उचित योग्यता वाले विज्ञान एवं गणित के अनुदेशकों का न मिलना तथा प्रयोशाला का उपलब्ध न होना, से ठीक प्रकार से नहीं चल रहे थे। अतः उन्हें बाद में प्राथमिक स्तर के केन्द्रों में परिवर्तितकर दिया गया था। वर्ष 1988-89 में स्वीकृत केन्द्रों की संख्या 6010 प्राथमिक स्तर तथा 100 माध्यमिक स्तर थी, जिनमें 5171 प्राथमिक स्तर के तथा 48 माध्यमिक स्तर के केन्द्र चालू थे।

रिपोर्टाधीन अवधि में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में लाभान्वित छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :-

		प्राथमिक		माध्यमिक	
		लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
1.	कुल छात्र संख्या	57182	92690	727	139
2.	ग्रामीण क्षेत्र की छात्र संख्या	51574	85408	654	120
3.	अनुसूचित जाति की छात्र संख्या	16349	29412	118	37

वर्ष 1988-89 में 1.54 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य था जिसके सम्मुख 1.75 लाख बच्चों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया गया।

वित्त व्यवस्था

वर्ष 1988-89 में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पर निम्न अनुसार व्यय (प्रोविजनल) किया गया।

1.	योजनेत्तर	38.25 लाख रुपये
2.	योजना	31.41 लाख रुपये
	जोड़	69.66 लाख रुपये

छात्रों को प्रोत्साहन

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा कार्य अनुभव के लिए शिक्षा सामग्री उपलब्ध की जाती है। अनुसूचित जाति की लड़कियों को जिनकी कम से कम 30 प्रतिशत उपस्थिति हो, मुफ्त वर्दियां दी जाती हैं। बहुत सारे केन्द्रों में सिलाई की मशीने, स्वेटर, बुनाई की मशीने खिलौने और बगैर सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए प्लास्टिक केन उपलब्ध की गई।

मूल्यांकन

अनौपचारिक शिक्षा में दो तरह के छात्र होते हैं, एक वे बच्चे जो बीच में ही पढ़ना छोड़ देते है तथा दूसरे वे बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ने कभी गये ही नहीं। पहली प्रकार के बच्चों में से कुछ बच्चे अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करके पुनः विद्यालयों में दाखिल हो जाते है, कुछ बच्चे पांचवीं कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं, जिनका मूल्यांकन जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। दूसरी प्रकार के बच्चे 3/4 वर्ष की अवधि में पाठ्यक्रम

पूरा करके पांचवी कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं उन्हें उत्तीर्ण होने के लिए 25 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी । माध्यमिक केन्द्रों में विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा की परीक्षा में बैठने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है ।

इस वर्ष की स्थिति निम्न प्रकार है :-

	परीक्षा में बैठे		उत्तीर्ण हुए	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
कक्षा 1-5	139257	89634	90021	57905

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की देखरेख के लिए अलग से कोई प्रशासकीय अमला स्वीकृत नहीं है । इन केन्द्रों की देखरेख और मूल्यांकन आदि का कार्य जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों/परियोजना अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाता है । अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को इकट्ठा ही रखा गया है और प्रायः एक ही अनुदेशक इन दोनों केन्द्रों को चलाता है ।

अध्याय पांचवा

छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न-2 स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुये अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से वजीफे एवं वित्तीय सहायता दी जाती है।

योग्यता छात्रवृति योजना

(क) राज्य सरकार की ओर से पांचवी कक्षा की परीक्षा के आधार पर 10/- रु० प्रति मास की दर से योग्यता छात्रवृति दी जाती है। यह छात्रवृति छठी से आठवी कक्षा तक के विद्यार्थियों को दी जाती हैं। वर्ष 1988-89 में छठी कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 3014 छात्रों को छात्रवृति दी गई तथा सातवीं तथा आठवीं कक्षा में इतनी ही छात्रवृतियों का नवीकरण किया गया। वर्ष 1988-89 में इस छात्रवृति योजना पर 10.85 लाख रुपये खर्च किए गये। वर्ष 1987-88 में इस छात्रवृति पर 7.20 लाख रु० खर्च किये गये थे।

(ख) आठवीं की परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृति उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं में 15/-रु० मासिक प्रति छात्र की दर से दी जाती है। वर्ष 1988-89 में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले 2368 छात्र/छात्राओं को छात्रवृति दी गई तथा इतनी ही छात्रवृतियों का दसवीं

कक्षा में नवीकरण किया गया । वर्ष 1988–89 में इस छात्रवृति पर 8.52 लाख रुपये खर्च किये गये । वर्ष 1987–88 में इस पर 6.12 लाख रुपये खर्च किये गये थे ।

सैनिक विद्यालयों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृतियां

देश के विभिन्न सैनिक विद्यालयों तथा पंजाब पब्लिक विद्यालय नाभा में शिक्षा ग्रहण करने वाले 560 हरियाणवी छात्रों पर छात्रवृतियां एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 30.60 लाख रु० व्यय किये गये । वर्ष 1987–88 में 600 छात्रों पर 24.60 लाख रुपये खर्च किये गये थे ।

पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

राज्य में पिछड़ी जाति के छात्र/छात्रों को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं । निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृतियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है । इस योजना के अधीन नौवीं से बाहरवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को 20/– रुपये प्रति छात्र प्रति मास की दर से छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1988–89 में इस योजना पर 55 लाख रु० खर्च किये गये तथा 19950 छात्र/छात्राओं को लाभ पहुंचाया । वर्ष 1987–88 में इस योजना पर 53.30 लाख रुपये खर्च हुये तथा 25292 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया ।

अनुसूचित जाति की छात्र/छात्राओं को छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

राज्य में अनुसचित जाति के सभी छात्र/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यवशायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसे छात्र बिना भेद भाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं । इस योजना के अधीन नौवीं से बाहरवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन जाति के विद्यार्थियों को 20/–रु० की दर से छात्रवृति दी गई । वर्ष 1988–89 में इस योजना पर 90 लाख रु० की राशि

व्यय की गई तथा 29820 छात्रों को लाभ पहुंचाया । वर्ष 1987–88 में इस योजना पर 68 लाख रु० व्यय किये गये तथा 24218 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

तेलगू भाषा प्रोत्साहन हेतु छात्रवृति

हरियाणा राज्य में तेलगू भाषा पढ़ रहे सातवीं तथा आठवीं कक्षा के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा तीन छात्रवृतियां प्रत्येक कक्षा के लिए 10/–रु० प्रति मास की दर से दी जाती हैं । वर्ष 1988–89 में 34 विद्यालयों में तेलगू भाषा पढ़ाई गई तथा कुल 204 छात्रवृतियां दी गई । इस योजना पर वर्ष 1988–89 में 18500 रुपये खर्च हुये ।

विमुक्त/टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृति देना

विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृतियां देने के लिए अलग से एक विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है । इस योजना के अधीन पहली कक्षा से ग्याहरवीं कक्षा में पढ़ रहे विमुक्त/टपरीवास जाति के बच्चों को छात्रवृति प्रदान की जाती हैं । वर्ष 1988–89 में इस योजना पर 6.95 लाख रुपये खर्च हुये तथा 4770 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया । वर्ष 1987–88 में इस योजना पर 5.10 लाख रुपये खर्चा हुआ तथा 5345 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

हरिजन छात्राओं को योग्यता छात्रवृति योजना

इस योजना के अधीन प्रत्येक जिले में पांच छात्रवृतियां नौवीं कक्षा में दी जाती हैं । ये छात्रवृतियां मिडल स्तरीय परीक्षा के आधार पर दी जाती हैं तथा दसवीं और ग्याहरवीं कक्षाओं में भी जारी रहती है । ये छात्रवृतियां नौवीं, दसवीं और ग्याहरवीं कक्षाओं में क्रमशः 40/–रु०, 50/–रु० और 60/–रु० प्रति मास की दर से दी जाती हैं । वर्ष 1988–89 में इस योजना पर 1.08 लाख रु० व्यय हुये तथा 180 छात्राओं को लाभान्वित किया गया ।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य छात्र/छात्राओं को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृति

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर की परीक्षा के आधार पर राज्य की ओर से 7 छात्रवृतियां प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती हैं। ये छात्रवृतियां प्राप्त करने वाले छात्रों में से जो छात्र छात्रावास में रहते हैं उन्हें 100/- रु० प्रति मास तथा डे स्कालरज को (जो छात्रावास में नहीं रहते) जो नौवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ते हैं उन्हें 30/- रु० प्रति मास और ग्याहरवीं तथा बाहरवीं कक्षा में पढ़ने वाले को 60/-रु० प्रति मास की दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 1988-89 में इसके लिए 3.88 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। इतनी ही राशि की व्यवस्था वर्ष 1987-88 में की गई।

अध्याय छठा

विविध

शिक्षक प्रशिक्षण

वर्ष 1988–89 में ओ०टी० तथा बी०एड० अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द रहा । केवल धारला (अम्बाला) में जे०बी०टी० प्रशिक्षण आरम्भ किया गया ।

1000 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को एस०सी०ई०आर० टी० द्वारा आयोजित सेवा कालीन प्रशिक्षण दिलवाया गया ।

सातवीं पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक जिले में एक–एक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोली जानी है। इन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अध्यापकों को सेवा से पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाना है। वर्ष 1987–88 में दो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गुड़ांवा खास तथा बीसवां मील (सोनीपत) में स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की । वर्ष 1988–89 में 6 संस्थान मोहड़ा (अम्बाला) बिरही कलां (भिवानी) इक्कस जीन्द महेन्द्रगढ़ खास, मदीना रोहतक तथा डींग (सिरसा) में स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई । शेष जिलों में वर्ष 1989–90 में खोली जानी है ।

विद्यालय भवनों की देखभाल

वर्ष 1988–89 में राजकीय विद्यालयों की मुरम्मत के लिए 200 लाख रुपये योजना पक्ष पर तथा 49.50 लाख रुपये योजनोत्तर पक्ष पर निर्माण/मुरम्मत हेतु बजट व्यवस्था की गई । इस राशि से लोक निर्माण विभाग

द्वारा 84 विद्यालयों के भवनों की मुरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया । 20 विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया तथा 28 विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

वर्ष 1988–89 में एन०आर०ई०पी/आर० एल० ई० जी० पी० स्कीम के अन्तर्गत 90.00 लाख रुपये की राशि का ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने हेतु बजट में प्रावधान रखा गया । आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत इस राशि से 20 सामूहिक विकास खण्डों के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में दो कमरे तथा शौचालय (लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग–अलग) का निर्माण करवाने के लिए उपायुक्तों को दी गई । इसके अतिरिक्त 30 लाख रुपये की राशि इस परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण करवाने हेतु खर्च की गई है ।

भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक

हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है । यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं । उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है । विद्यालयों में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है । यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है । तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के विषयों में शिक्षा दी जाती है । इसके अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी 35 विद्यालयों में उपलब्ध है । सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू तथा संस्कृत तथा तेलगू भाषा में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं ।

हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा का अध्ययन करने की विशेष सुविधा उपलब्ध है । यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या विद्यालय में 40 से अधिक विद्यार्थी हों जो अल्प संख्यक से सम्बन्धित हों तो वे अपनी भाषा को पढ़ सकते हैं ।

परन्तु पंजाबी तथा उर्दू के लिए विद्यार्थियों की यह संख्या किसी कक्षा के लिए 8 तथा किसी विद्यालय के लिए 30 है।

विद्यालय क्रीड़ा

छात्र/छात्राओं को शिक्षा के साथ समुचित सामाजिकता एवं स्वास्थ्य नागरिता का प्रशिक्षण देना और उनके शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाना तथा उन्हें चुस्त रखने के उद्देश्य से विद्यालयों में विभिन्न खेलों का कार्यक्रम संचालित किया जाता है। प्रति वर्ष राज्य स्तर पर विद्यालयों के लिए सभी खेल कूदों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य की चुनी हुई टीमों ने राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली, कोरबा, जम्मु, कटक तथा बारामती में आयोजित खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने 132 पदक प्राप्त किये जिनमें 42 स्वर्ण, 33 रजत तथा 57 कांस्य पदक है। वर्ष 1987-88 में पदक विजेता खिलाड़ियों का कार्य कर्ताओं सहित दिनांक 25.3.89 को करनाल में एक समारोह में सम्मानित करके 3,11,700/-रु० की धन राशि निदेशक महोदय द्वारा वितरित की गई। राज्य के उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को खेल के मैदान समतल कराने हेतु 5.07 लाख रुपये की राशि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रदान की गई तथा 8.17 लाख रुपये का खेल का सामान खरीदकर विद्यालयों को भेजा गया। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में खेल का सामान देने के लिए 5 लाख रुपये की राशि का सामान खरीदा गया।

भारत सरकार की "पारितोषिक राशि प्रतियोगिता" योजना के अन्तर्गत विजेता विद्यालयों को 10.80 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

वर्ष 1988-89 में भारत स्काउट्स एवं गाईड्ज संघ को विद्यार्थियों के शिविर लगाने तथा संघ की अन्य गतिविधियों को चलाने के लिए 4.73 लाख रुपए का अनुदान दिया गया।

वर्ष 1988-89 में पी०टी०आई० (एन०एफ०सी०) के वेतनमान का संशोधन किया गया तथा इन्हें यह वेतनमान 1.1.87 से दिया गया जिस पर कुल राशि 2,28,08,330/-रुपये व्यय हुई।

पाठ्य पुस्तक कक्ष

शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए रोचक एवं उपयोगी विषय वस्तु छात्र/छात्राओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने पुस्तकों का निर्माण कार्य पूर्णतया अपने हाथ में लिया हुआ है । वर्ष 1988–89 में इस कार्य के लिए निदेशालय में एक पाठ्य पुस्तक कक्ष की स्थापना की गई है । इस कक्ष में हिन्दी, गणित, इतिहास, भुगोल, संस्कृत, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के विशेषज्ञों को पुस्तकों के स्तर को बेहतर बनाने एवं हरियाणा के सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश का समन्वय करने हेतु नियुक्त किया है । एस०सी०ई०आर०टी० गुड़गांवा और इस कक्ष के सामूहिक प्रयास के परिणामस्वरूप इस कार्य में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है । कक्षा 1–10 तक की कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तको का मुद्रण करवाकर सभी विद्यालयों में वितरित करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया । सरकार के आदेशों की अनुपालना में युनिसेफ परियोजना–2 के अन्तर्गत निर्मित पाठ्य–पुस्तकों हिन्दी–3, हिन्दी–4, गणित–3 तथा गणित–4 को राज्य के सभी विद्यालयों में लगवाने हेतु इनमें वांछित संशोधन किए गये और मुद्रित करवाया गया । पाठ्य क्रम परियोजना के अन्तर्गत प्रचलित पाठ्य क्रम (कक्षा 1–8) को संशोधन उपरान्त राज्य सरकार से अनुमोदित करवाया गया ।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

अध्यापक कल्याण योजना के अन्तर्गत उन अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को जो विपदा स्थिति में हों, आर्थिक सहायता दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झण्डा चन्दा के रूप में राशि एकत्रित की जाती है । इस राशि में से प्रतिष्ठान मृतक अध्यापकों के दाह–संस्कार, सेवा निवृत अध्यापकों को उनकी लड़कियों की शादी तथा उनके लम्बे समय की बीमारी पर भी सहायता देता है । कार्यरत अध्यापकों को उनकी बिमारी तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी सहायता देता है । वर्ष 1988–89 में अध्यापक कल्याण कोष के लिए 13,80,500 रुपये एकत्रित हुये तथा 216 अध्यापकों के परिवारों को 9,25,103 रुपये की राशि सहायता के रूप में वितरित की गई ।

बुक बैंक

राज्य में अनुसूचित जातियों, वंचित वर्ग तथा निर्धन बच्चों को मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु बुक बैंकों की स्थापना की हुई है। वर्ष 1988-89 में सरकार ने उनके लिए पुस्तकें खरीदने हेतु 15 लाख रुपये योजनाधीन तथा 22.50 लाख रुपये योजनागत स्वीकृत किये गये।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

शिक्षा के स्तरोन्नत, विधिशोध, अन्वेषण अध्ययन, तथा प्रशिक्षण कार्यों के द्वारा प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्ग-दर्शन हेतु राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की हुई है। अपने जन्म काल से ही यह परिषद अपनी विशिष्ट तथा विविध कार्यकलापों में संलग्न इकाईयों के माध्यम से राज्य के शैक्षिक वातावरण को समयानुसार करने हेतु यथा सामर्थ्य प्रयासरत है।

विज्ञान प्रदर्शनी

बालाकों में विज्ञान के प्रति रूचि उत्पन्न करने तथा विज्ञान शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उप मण्डल/जिला/राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1988-89 में भी इन स्तरों पर विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा इसके लिए 33000/-रु० की राशि स्वीकृत की गई। रिपोर्टाधीन अवधि में 200 राजकीय उच्च विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 16 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

कम्प्यूटर लिटरेसी

वर्ष 1988-89 में 15 विद्यालयों में कम्प्यूटर लिटरेसी कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इससे पूर्व 41 विद्यालयों में कम्प्यूटर लिटरेसी पहले ही चल रही थी। जो विद्यालय कम्प्यूटर लिटरेसी के अधीन आते है उनमें तीन-तीन प्राध्यपकों को कम्प्यूटर लिटरेसी का प्रशिक्षण दिलवाया जाता है और इस परियोजना की सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग हैं । यह विषय राज्य के सभी विद्यालयों में पढ़ाया जाता है । इसे नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है । विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस विषय को दसवीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना दिया है । इस कार्यक्रम के लिए 1000 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के 500/–रुपये प्रति विद्यालय की दर से सरकार द्वारा 5.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई । माध्यमिक विद्यालयों में इस कार्यक्रम के लिए 6.20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई ।

24975—D.P.I.—H.G.P., Chd.

NIEPA DC
D08551

LIBRARY & DOCUMENTATION UNIT
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8551
Date 05-05-95